



क्र. B 59190


1937  
2016

## विक्रय विलेख का वांछित विवरण

1. मालियत विक्रय प्रतिफल :- 11,70,000/- रुपये
2. शासकीय मूल्यांकन :- 8,83,000/- रुपये
3. स्टाम्प शीट की संख्या :- 06
4. कुल स्टाम्प शुल्क देय :- 44,000/- रुपये
5. सर्किल रेट :- सामान्य शासकीय दर अंकन 8000/- रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से।
6. प्रमुख मार्ग से दूरी :- विक्रीत भूमि मुख्य रायपुर रोड़ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
7. विक्रीत भूमि पर सड़क की चौड़ाई :- विक्रीत भूमि की पूरब दिशा में 4.57 मीटर (अर्थात 15 फुट) चौड़ी सड़क विद्यमान है।
8. भूमि का प्रकार :- आवासीय
9. विवरण भूमि :- भूमि खतौनी खाता संख्या-72 (मुताबिक वर्ष 1422 से 1427 फसली) का खसरा संख्या-338'क' का भाग क्षेत्रफल 110.36 वर्गमीटर, स्थित मौजा-ननूरखेड़ा, परगना परवादून, तहसील-सदर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।
10. विक्रेता का नाम व पता :- श्री गगन सिंह पुत्र स्व० श्री हरि सिंह, निवासी 4 ननूरखेड़ा, नालापानी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा अपने सगे पुत्र एवं पंजीकृत मुख्तारेआम श्री राकेश सिंह पुत्र श्री गगन सिंह, निवासी 4 ननूरखेड़ा, नालापानी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।  
(PAN : ARJPBI477E)
11. क्रेता का नाम व पता :- बीना रानी पुत्री श्री धनराज सिंह, निवासी खेड़ा जट, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)। (PAN : BPLPR9903J)
12. रचयिता का नाम :- नवीन बगवाड़ी, अधिवक्ता, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

h

Beena Rani



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

131378

- 2 -

मुख्य कांषाधिकारी  
कोषागार देहरादून



(राकेश सिंह)  
विक्रेता के सगे पुत्र व मुख्तारेआम



(बीना रानी)  
क्रेता

## विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 02-05-2016 को स्थान देहरादून में श्री गगन सिंह पुत्र स्व० श्री हरि सिंह, निवासी 4 ननूरखेड़ा, नालापानी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा अपने सगे पुत्र एवं पंजीकृत मुख्तारेआम श्री राकेश सिंह पुत्र श्री गगन सिंह, निवासी 4 ननूरखेड़ा, नालापानी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) (जिनको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)। .....विक्रेता

ने

बीना रानी पुत्री श्री धनराज सिंह, निवासिनी खेड़ा जट, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिनको इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित किया। .....क्रेता

*(Handwritten signature)*

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY  
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

131218

- 3 -

विदित हो कि विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का एकमात्र स्वामी व अध्यासी है। विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में फसली वर्ष 1404 से बतौर "संक्रमणीय भूमिधर" विधिवत् दर्ज व अंकित है। विक्रेता को इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत, अन्तरित व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

विदित हो कि विक्रेता ने इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में मुख्तारनामा-आम दिनांकित 13-02-2015 अपने सगे पुत्र श्री राकेश सिंह पुत्र श्री गगन सिंह, निवासी 4 ननुरखेड़ा, नालापानी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) के पक्ष में अंकित व निष्पादित कर रखा है, जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक सदर-चतुर्थ, देहरादून में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-87 के पृष्ठ संख्या-291 से 302 में प्रलेख संख्या-156 पर दिनांक 13-02-2015 को विधिवत् पंजीकृत है। उक्त मुख्तारनामों का मुख्तारदाता/विक्रेता वर्तमान में जीवित है। उक्त मुख्तारनामा-आम पवित्र है तथा निरस्त नहीं किया गया है तथा वर्तमान में प्रभावी एवं वैध है। उक्त मुख्तारेआम को विक्रेता की ओर से इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत, अन्तरित व हस्तान्तरित आदि करने के विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

विदित हो कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेता के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है। इस भूमि पर किसी बैंक, सोसायटी, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग में किसी प्रकार का कोई ऋण देय नहीं है तथा यह भूमि कहीं बन्धक नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यासन स्वच्छ है।

विदित हो कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि पाक व साफ है और किसी स्थान पर धरोहर व बन्धक नहीं है और विक्रेता बिना किसी के सिखलाये, बहकाये, बिना किसी अनुचित दबाव के, अपने स्वच्छ व स्वस्थ मन-मरितष्क एवं इन्द्रियों की स्वच्छ व स्वस्थ दशा में तथा इस विलेख को पढ़कर/पढ़वाकर एवं समझकर इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेता को अंकन 11,70,000/- रुपये (ग्यारह लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप विक्रीत करना चाहती हैं और क्रेता भी इस विक्रय प्रतिफल धनराशि की एवज में इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करना चाहती हैं।

मुख्य कोषाधिकारी  
कोषागार देहरादून  
28 APR 2016

Barna Rani

291

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 1737 वर्ष 2016

Vipul

Sale (Immovable)  
Sale(Residential Plot)

प्रतिफल रु0 : 1,170,000.00  
मालियत रु0 : 883,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क  
रु0 23,400.00

प्रतिलिपि शुल्क  
रु0 10.00

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क  
रु0 260.00

कुल योग  
रु0 23,670.00

शब्द लगभग  
1,000

श्रीमती बीना रानी पत्नी श्री धनराज सिंह निवासी खेड़ा जट मंगलौर रुड़की हरिद्वार ने आज दिनांक 02 May 2016 समय मध्य 3PM व 4PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून, प्रथम में प्रस्तुत किया।



Binna Rani  
बीना रानी

[Signature]  
उपनिबन्धक  
देहरादून, प्रथम  
02-May-2016

रजिस्ट्रीकरण  
02-May-2016

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री गगन सिंह द्वारा मुख्यतारेआम राकेश सिंह पुत्र श्री गगन सिंह निवासी 4 ननूरखेड़ा नालापानी देहरादून ने विक्रय धन मुबलियत रु0 1,170,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्रीमती बीना रानी पत्नी श्री धनराज सिंह निवासी खेड़ा जट मंगलौर रुड़की हरिद्वार ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री छोटेलाल गुप्ता निवासी 2 महालक्ष्मी एन्क्लेव जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा श्री बालम सिंह राणा पुत्र श्री करम सिंह राणा निवासी पुलिस क्वार्टर सीमेंट रोड देहरादून ने की।

[Signature]  
उपनिबन्धक  
देहरादून, प्रथम  
02-May-2016





उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 714094

- 4 -

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेता, इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेता-महोदया बीना रानी पुत्री श्री धनराज सिंह, निवासिनी खेड़ा जट, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को अंकन 11,70,000/- रुपये (ग्यारह लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करती हैं तथा भूमि पर स्वामिनी के रूप में क्रेता को काबिज करती हैं। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेता ने क्रेता को देकर, क्रेता को भूमि पर काबिज कर दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन 11,70,000/- रुपये (ग्यारह लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है :-

क- अंकन 10,50,000/- रुपये (दस लाख पचास हजार रुपये मात्र) बजरिये चैक सं0 035781 दिनांकित 30-04-2016 वास्ते एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, देहरादून, जो कि विक्रेता के पक्ष में क्रेता-महोदया द्वारा लिये गये ऋण की एवज में जारी किया गया,

ख- अंकन 1,20,000/- रुपये (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) बजरिये चैक सं0 044843 दिनांकित 02-05-2016 वास्ते सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, डी0बी0एस0 कॉलेज, देहरादून, उत्तराखण्ड

जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति विक्रेता/मुख्तारेआम उपनिबन्धक महोदय, देहरादून तथा वर्तमान विलेख के साक्षीगण व क्रेता के समक्ष एतद्द्वारा अपनी पूर्ण सन्तुष्टि में स्वीकार करती हैं। विक्रय प्रतिफल की एवज में कुछ भी लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

- (2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेता निम्नानुसार स्पष्ट करती हैं :-

(क) यह कि विक्रेता ने क्रेता को इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन स्थल पर समर्पित कर दिया है और क्रेता को स्वयं के समतुल्य भूमि पर काबिज कर दिया है और क्रेता भूमि के अध्यासन में आ गयी है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि से जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, अपने उपयोग-उपभोग में लाये, निर्माण करें, काश्त करें, रास्ता, नाली, पानी, हवा, रोशनी आदि का उपयोग करें, राजस्व अभिलेख में अपने नाम से दाखिल खारिज करवायें, या अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय करें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Rani

49  
29/5/16

ATIALM  
VIPIU RASTOG  
STAMP VENDOR L NO  
D.P.

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 1737 वर्ष 2016



*Gagan Singh*

*Beena Rani*

*Sanjay Gupta*

*Balam Singh*

गगन सिंह द्वारा  
मुख्यतारेआम राकेश  
सिंह

बीना रानी

संजय कुमार गुप्ता

बालम सिंह राणा

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

*Rajesh Singh*  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, प्रथम  
02 May 2016



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 714095

- 5 -

- (ख) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि की बाबत आज तक देय समस्त कर, लगान आदि या अन्य कोई पाया जायेगा तो इसकी अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी और आज के बाद देय समस्त कर, लगान आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा, परन्तु यदि इस विक्रय विलेख से पूर्व का कोई कर, लगान आदि या अन्य देय पाया जायेगा, तो अदायगी का उत्तरदायित्व विक्रेता का होगा।
- (ग) यह कि भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।
- (घ) यह कि विक्रीत भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेता को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेता को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेता को अन्तरित किये जा रहे हैं।
- (ङ) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेता को विक्रेता की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेता, क्रेता की मांग पर व क्रेता के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगे तथा उसका कारण बनेंगे।
- (च) यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के समस्त अभिलेखों से विक्रेता का नाम निरस्त करवाकर अपना नाम बतौर स्वामित्व अंकित करा ले।

**:: वांछित विवरण ::**

- (1) यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है। विक्रेता व क्रेता भारतीय नागरिक हैं।
- (2) विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है।
- (3) विक्रीत भूमि नगर निगम, देहरादून की सीमा से बाहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
- (4) पक्षकारों के मध्य कोई भी पंजीकृत अनुबन्ध पत्र नहीं है।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मुख्य रायपुर रोड़ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

*Beena Ravi*



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 714096

- 6 -

28 APR 2016

कोषाध्यक्ष

- (6) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मौजा-ननूरखेड़ा, परगना परवादून, तहसील-सदर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 110.36 वर्गमीटर है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर देहरादून द्वारा निर्मित, भू-सम्पत्तियों की मूल्यांकन सूची के अन्तर्गत विक्रीत भूमि की सामान्य शासकीय दर अंकन 8000/- रु० प्रतिवर्गमीटर है। विक्रीत भूमि की पूरब दिशा में 4.57 मीटर (अर्थात् 15 फुट) चौड़ी सड़क विद्यमान है, इसलिए नियमानुसार निर्धारित सामान्य शासकीय दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल शासकीय मूल्यांकन 8,83,000/- रुपये निर्धारित होता है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि अंकन 11,70,000/- रुपये की धनराशि में विक्रीत की जा रही है, चूंकि क्रेता-महोदया 'महिला' है, इस कारण निर्धारित विक्रय प्रतिफल पर नियमानुसार 3.75 प्रतिशत की दर से अंकन 44,000/- रु० का स्टाम्प शुल्क अधिकतम पर समर्पित किया जा रहा है। भूमि नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1960) (यथाअंगीकृत व संशोधित उत्तराखण्ड राज्य) के प्राविधानों से मुक्त है।
- (7) यह कि क्रेता-महोदया वर्तमान विक्रय विलेख के माध्यम से 250 वर्गमीटर से कम भूमि क्रय कर रही हैं, जिस कारण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) (संशोधन) विधेयक-2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तरांचल अधिनियम संख्या-12 वर्ष 2006 एवं उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है और वर्तमान विक्रय-पत्र के माध्यम से सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।
- (8) यह कि इस विक्रय विलेख में जहां-जहां शब्द विक्रेता व क्रेता प्रयुक्त किया गया है, वहां उनके समस्त उत्तराधिकारी, वारिसान, हित-प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि सभी सम्मिलित होंगे और सभी सम्मिलित समझे जायेंगे। इस विक्रय विलेख के सदैव समान रूप से बाध्य व पाबन्द रहेगा व समझा जायेगा।

Beena Rani





उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 714097

- 7 -

:: विवरण भूमि ::

भूमि खतौनी खाता संख्या-72 (मुताबिक वर्ष 1422 से 1427 फसली) का खसरा संख्या-338'क' का भाग क्षेत्रफल 110.36 वर्गमीटर, स्थित मौजा-ननूरखेड़ा, परगना परवादून, तहसील-सदर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड), जिसको संलग्न मानचित्र में शब्द 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' तथा 'ए' से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी सीमाएं एवं पैमाईश निम्नानुसार है :-

- पूरब में :- 4.57 मीटर (अर्थात 15 फुट) चौड़ी सड़क, सीमा में पैमाईश 20 फुट,  
पश्चिम में :- सम्पत्ति श्री अनिल राणा, सीमा में पैमाईश 19 फुट 6 इंच,  
उत्तर में :- भूमि श्री चौरसिया, सीमा में पैमाईश 62 फुट,  
दक्षिण में :- सम्पत्ति श्री दीपक श्रीवास्तव, सीमा में पैमाईश 58 फुट।

28 APR 2016

14

*Berna Rani*

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु:-

विक्रेता का नाम :- श्री गगन सिंह द्वारा अपने सगे पुत्र एवं पंजीकृत  
मुख्तारेआम श्री राकेश सिंह

(Left Hand) बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह


अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



(Right Hand) दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



क्रेता का नाम :- बीना रानी

(Left Hand) बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



(Right Hand) दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



Beena Rani

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को स्थान देहरादून में पक्षकारों द्वारा अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया गया है, ताकि सनद् रहे और समय पर काम आवे।

.....  
(गगन सिंह)  
विक्रेता

द्वारा अपने सगे पुत्र एवं  
पंजीकृत मुख्तारआम  
श्री राकेश सिंह

Beena Rani  
.....  
(बीना रानी)  
क्रेता

साक्षीगण :-

संजय गुप्ता

(1) श्री संजय कुमार गुप्ता  
पुत्र श्री छोटे लाल गुप्ता  
निवासी 2 महालक्ष्मी एनक्लेव  
जानसठ रोड़, जिला मुजफ्फरनगर  
(DL No. 1213002102, Muzaffarnagar)

(2) श्री बालम सिंह राणा  
पुत्र श्री करम सिंह राणा  
निवासी पुलिस क्वार्टर  
सीमेन्ट रोड़, जिला देहरादून।  
(PAN : BZEPR6461G)

पक्षकारों ने एक दूसरे की शिनाख्त की तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों तथा बताये गये तथ्यों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना की गयी। पक्षकारों ने स्वयं के चित्रण स्वयं पुष्ट किये तथा साक्षीगणों ने उपरोक्त विक्रय विलेख के सम्पूर्ण तथ्यों को पढ़ व समझकर एवं विक्रय प्रतिफल की धनराशि का आदान-प्रदान संज्ञान में लेकर इस विक्रय विलेख में बतौर साक्षीगण अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर अंकित किये हैं।

रचयिता :- नवीन बगवांड़ी, अधिवक्ता, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

बही संख्या 1 जिल्द 6,815 के पृष्ठ 139 से 164 पर क्रमांक 1737

पर आज दिनांक 02 May 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, प्रथम  
02 May 2016





## साईट प्लान

भूमि खतौनी खाता संख्या-72 (मुताबिक वर्ष 1422 से 1427 फसली) का खसरा संख्या-338'क' का भाग क्षेत्रफल 110.36 वर्गमीटर, स्थित मौजा-ननूरखेड़ा, परगना परवादून, तहसील-सदर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड), जिसको मानचित्र में शब्द 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' तथा 'ए' से प्रदर्शित किया गया है।

विक्रेता :- श्री गगन सिंह द्वारा अपने सगे पुत्र एवं पंजीकृत मुख्तारेआम श्री राकेश सिंह

क्रेता :- बीना रानी

Not to Scale



(गगन सिंह)

विक्रेता

द्वारा अपने सगे पुत्र एवं  
पंजीकृत मुख्तारेआम  
श्री राकेश सिंह

*Beena Rani*

(बीना रानी)


क्रेता

संख्या 50/16

बही संख्या 1 जिल्द 6,815 के पृष्ठ 139 से 164 पर क्रमांक 1737  
पर आज दिनांक 02 May 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

बही संख्या 1 जिल्द 6,815 के पृष्ठ 139 से 164 पर क्रमांक 1737

पर आज दिनांक 02 May 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /  
उप-निबंधक, देहरादून, प्रथम

02 May 2016

